भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3585
(10 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आकस्मिक निधि

3585. श्रीमती मंजुलता मंडलः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 215.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक आकस्मिक निधि कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना- इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 01 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासनिक निधियां दो समान किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रशासनिक निधियों का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने और इनके अप्रयुक्त पड़े रहने की स्थिति से बचने के लिए, ये निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास उपलब्ध कुल प्रशासनिक निधियों में से 60% निधियों का उपयोग हो जाने के बाद ही जारी की जाती हैं। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में पीएमएवाई-जी के प्रशासनिक घटक के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आकस्मिक निधि के संबंध में दिनांक 10.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 3585 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2017-18 और 2018-19 में पीएमएवाई-जी के प्रशासनिक घटक के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियां

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2017-18**	**2018-19**
1	आंध्र प्रदेश	1353.57	715.59
2	अरुणाचल प्रदेश	48.39	0.00
3	असम	1039.43	938.78
4	बिहार	2317.58	8560.90
5	छत्तीसगढ़	10096.43	5170.50
6	गोवा	0.00	0.00
7	गुजरात	2048.62	2623.91
8	हरियाणा	82.84	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	195.69	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	89.30	0.00
11	झारखंड	6196.91	356.12
12	कर्नाटक	268.44	0.00
13	केरल	82.34	0.00
14	मध्य प्रदेश	5373.34	14196.22
15	महाराष्ट्र	488.62	3377.09
16	मणिपुर	226.11	0.00
17	मेघालय	91.31	485.43
18	मिजोरम	25.77	111.47
19	नागालैंड	33.32	0.00
20	ओडिशा	7038.50	5176.23
21	पंजाब	61.62	0.00
22	राजस्थान	7291.01	0.00
23	सिक्किम	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	2878.79	1933.84
25	तेलंगाना	185.21	0.00
26	त्रिपुरा	709.27	29.46
27	उत्तर प्रदेश	2090.78	0.00
28	उत्तराखंड	53.13	369.16
29	पश्चिम बंगाल	925.64	6474.68
30	अण्डमान और निकोबार	3.26	0.00
31	दादर और नगर हवेली	15.62	0.00
32	दमन और दीव	0.86	0.00
33	लक्षद्वीप	2.73	0.00
34	पुडुचेरी	0.00	0.00
	कुल	**51314.42**	**50519.37**

****